GRIEVANCE REDRESSAL CELL

GC KARSOG, MANDI (HP)

MINUTES OF THE MEETING W.E.F. 2018-2022

Meeting Time 3:00 p.m. 18/7/2018

Date ______
Page 10

आज दिनांक :- 18/7/2018 को प्राचार्या महोदया की अध्यक्षता में Anti-Ragging Committee की meeting हुई। जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे तथा इसमें निम्न-लिखित निर्णय लिए गए।

1. डा० यमुना शर्मा — [signature]
2. सहायक आचार्य जय कुमार शर्मा — [signature]
3. डा० विनोद शर्मा — [signature]
4. स० आचार्य पुनीत ठाकुर — [signature]
5. SHO (थाना प्रभारी) करसोग — [signature] 18/7/18

(1) Anti Ragging / Anti Ragging Squad कमेटी के सदस्यों द्वारा महाविद्यालय के छात्र अनिल कुमार स्नातक प्रथम वर्ष; अनुक्रमांक 06968 की शिकायत प्राप्त की। महाविद्यालय की Anti Ragging Committee ने दोनों पक्षों को विस्तार से सुना और यह पाया कि दलीप शर्मा द्वितीय सत्र अनुक्रमांक 6824 की अनुशासनहीनता कर रहा था।

2. विद्यार्थियों के द्वारा दी गई शिकायत को प्रशासन द्वारा प्राप्त करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि दलीप शर्मा को दस दिन के लिए महाविद्यालय से निष्कासित किया जाए। 19 जुलाई से 28 जुलाई 2018 तक

3. दोनों पक्षों को यह समझाया गया कि भविष्य में महाविद्यालय में कोई भी विद्यार्थी अनुशासनहीनता न फैलाए और परिसर में सौहार्दपूर्ण एवं शैक्षणिक वातावरण बनाए रखने को कहा गया।

4. शिकायत कर्ता ने प्रशासन को लिखित रूप में दिया है कि यदि भविष्य में मेरे साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा तो मुझे इनसे कोई आपत्ति नहीं है। यदि भविष्य में पुनः दुर्व्यवहार करता है तो इसके खिलाफ कारवाई की जाए।

5. आरोपी पक्ष ने यह स्वीकार किया कि यह विवाद किसी भी प्रकार से रैगिंग के उद्देश्य से शुरू नहीं हुआ था। भविष्य में इस तरह का कोई भी विवाद नहीं किया जाएगा।

6. महाविद्यालय परिसर में दो पुलिस जवान तैनात करने के लिए कहा गया जिसके लिए थाना प्रभारी करसोग ने अपनी स्वीकृति प्रदान की।

Anil Kumar [signature] 06968 | Dalip [signature] 06824

[signature] 18/7/2018

PRINCIPAL
GOVT. COLLEGE KARSOG
DISTT MANDI (HP)

Scanned with CamScanner

Date
Page 11

-: MEETING :-

आज दिनांक :- 19-7-2018 को प्राचार्या महोदया की अध्यक्षता में प्राचार्या कक्ष में सांय 4 बजे Anti-Ragging कमेटी की बैठक हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे।

1. डा० आचार्य सुरामा लाग
2. डा० यमुना शर्मा
3. सहायक आचार्य रूपि नारंग
4. डा० विनोद कुमार
5. सहायक आचार्य जयकुमार
6. सहायक आचार्य पुनीत ठाकुर

इस बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गये।

Anti Ragging / Anti Ragging squad कमेटी के सदस्यों द्वारा महाविद्यालय के BSc I st Sem. के छात्र रितिक अनुक्रमांक 1694 कि शिकायत प्राप्त की जिसमें विस्तार से जांचने के बाद यह पाया गया कि यह दो विभिन्न विद्यार्थी संगठनों के वर्चस्व को लेकर महाविद्यालय परिसर में कुछ सुनी हो रही है। क्योंकि पिछले दिन दिनांक 18/7/2018 को SFI के कार्यकर्ता ने ABVP के खिलाफ बैच फाड़ने तथा दुर्व्यवहार की शिकायत की थी ठीक उसी तरह आज दिनांक 19/7/2018 को ABVP के कार्यकर्ता के द्वारा SFI के कार्यकर्ता के उपर आरोप लगाए हैं।

शिकायतकर्ता ने कमेटी को लिखित रूप में दिया है कि उसने Anti Ragging help line में कोई फोन नहीं किया। उसने यह भी लिखित रूप में स्वीकार किया है कि उसने जो प्राचार्या को शिकायत दी है वह भी किसी और ने ही लिखि है। हालांकि उसने स्थानीय पुलिस को इस संदर्भ में सूचित किया है।

इन तथ्यों के आधार पर महाविद्यालय प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि कुलदीप शर्मा स्नातक तृतीय वर्ष सत्र V अनुक्रमांक (830) को अनुशासनहीनता फैलाने आरोप में महाविद्यालय से दस दिनों के लिए दिनांक 19.7.18 से 29.7.2018 तक निष्कासित किया जाता है।

महाविद्यालय प्रशासन ने इस संदर्भ में स्थानीय थाना प्रभारी को सूचना प्रेषित कर दी है। अतः आगामी कार्यवाही पुलिस की रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी।

यद्यपि महाविद्यालय प्राचार्या ने कुलदीप शर्मा के पिता को फोन न० 86290-97549 द्वारा महाविद्यालय बुलाया गया लेकिन वह सांय 6:00 बजे तक भी महाविद्यालय में नहीं आए।

19/07/2018

Date
Page 12

आज दिनांक :- 20-7-2018 को प्राचार्या महोदया की अध्यक्षता में अनुशासन कमेटी की बैठक हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे।

1. सहायक आचार्य श्री सुदामा राम
2. स० आचार्य डा० यमुना शर्मा
3. स० आचार्य श्रीमती रुचि शारिंग
4. स० आचार्य डा० विनोद कुमार
5. स० आचार्य श्रीमान पुनीत ठाकुर

6 छात्र संगठन (ABVP. SFI) के सदस्य

1. संतोष कुमार] SFI
2. डोली राज]
3. जितेन्द्र ठाकुर] ABVP.
4. नंदकिशोर ठाकुर]

इस बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए।—

1) इस बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा महाविद्यालय परिसर में पूरी तरह शांति बहाल करने का निर्णय लिया गया।
2.) दोनों छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों को महाविद्यालय प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि महाविद्यालय परिसर में कोई भी अनुशासन हीनता होती है तो उन पर सख्त अनुशासनात्मक कारवाई की जाएगी।
3. महाविद्यालय परिसर में अवांछित व्यक्ति का प्रवेश निषेध होगा। इस बात पर दोनों छात्र संगठनों ने आपसी सहमति व्यक्त की है।

20/07/2018
Principal
Govt. College Karsog
Distt. Mandi (H.P.)

24-07-2019

Page 20

Meeting

An emergent meeting of the anti-ragging and discipline committee members was convened under the chairpersonship of Dr. Deepa Sharma in the office of the Principal on 24th July 2019 at 3:00 P.M.

The following members of the said committee were present.

1 Sudama Ram
2. Dr. Vinod Kumar
3. Jai Kumar
4. Puneet Thakur
5. Ruchi Narang
6. Santosh Kumar

The following decisions were taken in the meeting.

Item No 1 As per the application of Chandrika Sharma class B.A.1st Roll No 08453.C F.I.R. No. 0112 dated 24/07/2019, It was decided in an emergent meeting of the anti-ragging and discipline committee members to do the councilling of the students so that such problem may not crop-up in future also.

Item No.2. The members also decided to check the I-cards of the students at the entry gate of the college building before the beginning of the first period. So that the outsiders may not come inside the campus of the college. And the students will also be advised to come in college by bearing their I-cards.

Item No.3 The committee members strongly recommended to impose the fine of rupees 50/- (Fifty Rupees only)

Scanned with CamScanner

who are found using the mobiles within the college building.

Item No. 4 It was also decided in the meeting to aware the students about ragging and advise them to maintain the discipline in the college premises.

Item No. 5 The members decided to take a round of the campus and floorwise in order to create academic environment in the campus. Other teachers will also be advised to do the same whenever they are free.

The meeting ended with the vote of thanks to the chair.

Principal
Govt. College Karsog
District Mandi (H.P.)

Scanned with CamScanner

आज दिनांक 20/09/2020 को प्रधानाचार्य महोदय की अध्यक्षता में Anti-ragging squad / Discipline committee की बैठक हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :-

1) डॉ० यमुना शर्मा
2) श्रीमती रूचि नारंग
3) डॉ० विनोद शर्मा
4) डॉ० लीलाधर
5) श्री जय शर्मा

इस बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए :-

1) इस बैठक में विभिन्न छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों को बुलाकर ये चेतावनी दी गई कि महाविद्यालय परिसर में पूरी तरह से अनुशासन को बनाए रखने में सहयोग दें। अगर महाविद्यालय में कोई अनुशासनहीनता उनकी वजह से होती है तो उन पर सख़्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

2) इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अगर कोई छात्र महाविद्यालय की सम्पत्ती को किसी भी तरह का नुकसान पहुँचाता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी और उचित जुर्माना भी वसूल किया जाएगा।

3) इस बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि महाविद्यालय परिसर में कोई भी छात्र खुलेआम Mobile Phone का उपयोग नहीं कर सकता। अगर कोई छात्र ऐसा करता पाया गया तो उसका Mobile Phone जप्त कर लिया जाएगा और ₹50/- जुर्माना लगाया जाएगा। छात्राएं केवल Girls Common Room में Mobile phone का उपयोग कर सकती हैं।

इसी चर्चा के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
करसोग।

PRINCIPAL
GOVT COLLEGE
KARSOG DIST. MANDI

A meeting of the anti-ragging and discipline Committee was organised under the chairpersonship of Principal in the office of the Principal on 14 July 2021 Wednesday at 3. P.m. The following members were present in the meeting :—

1) Dr. Yamuna Sharma
2) Mrs. Ruchi Narang
3) Dr. Vinod Sharma
4) Dr. Leela Dhar
5) Mr. Rishav Bhardwaj
6) Dr. Renu Kumari

The following points were discussed In the meeting:

1) The committee desided that no student should enter the college without I-Card. To check this everyday on the college gate one teacher along with gatekeeper will be appointed for weekly basis for one month.

2) The committee members strongly recomended to impose heavy fine if any student is found to harm the property of the college in any respect.

3) It was also decided to aware the students about ragging and advise them to maintain the discipline in the college premises.

4) The members decided to take a round of the campus and floorwise in order to create academic environment in the college. Other teachers will also be advised to do the same whenever they are free.

The meeting ended with the vote of thanks to the chair.

Principal
G.C. Karsog.

Scanned with CamScanner

आज दिनांक 02/08/2022 को Sexual Harassment / Wowen cell के Committee के अन्तर्गत माननीय प्राचार्य जी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमे निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे ।

1) Smt. Ruchi Narang (signature)
2) Ms. Vidya Devi (signature: Vidya)
3) Mrs. Sonia Chaudhary (signature: Sonia)
4) Dr. Sumedha Sharma (signature: Sumedha)
5) Mr. Nand Kishor.

इस बैठक में निम्नलिखित निर्णय लेने के लिए सम्बन्धित विचार विमर्श किया गया :—

1) इस बैठक में छात्राओं को Sexual Harassment तथा उससे निपटने के लिए Vishakha Guidlines (Posco act & Posh act) से अवगत कराया जाएगा। उसके लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया जाए ताकि छात्राएं इस तरह की समस्याओं की शिकायत Women cell में कर सकें और Women cell इसका सही निदान कर सके ।

2) इस बैठक में Women Cell के अन्तर्गत छात्राओं को व्यक्तिगत स्वच्छता तथा तनाव व चिंता प्रबंधन के बारे में जागरूक करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन करने का निर्णय लिया गया ।

3) इस बैठक में अध्यक्ष रूचि नारंग द्वारा Women Cell की कार्यकारिणी, महत्व एवं वर्तमान में Social media में किए जाने वाले यौन उत्पीड़न से तथा इससे सम्बन्धित कानूनों से भी छात्राओं को अवगत करवाने का निर्णय लिया ।

(signature)
प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
करसोग ।
PRINCIPAL
GOVT COLLEGE
KARSOG DISTT. MANDI (HP)

Scanned with CamScanner